आदर्श विद्यालय
आदर्श शिक्षा, उज्ज्वल भविष्य

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ओपन स्टेट बिल्डिंग, प्रथम तल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर–302017

दूरभाष नं. 0141–2715532 E-mail: adrutrsmsa@gmail.com

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय अवलोकन/2018–19/12176 दिनांक : 19.2.19

कार्यालय – आदेश

वर्तमान नवीन शैक्षिक परिदृश्य में जिला, ब्लॉक एवं पंचायत स्तर तक परिवर्तित शैक्षिक ढाँचे के क्रम में राज्य में आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों की प्रभावी मॉनीटरिंग एवं आवश्यक सम्बलन प्रदान करने हेतु ऑनलाइन विद्यालय अवलोकन का कार्यक्रम सम्पादित किया जावेगा।

सत्र 2018–19 में विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम के द्वितीय चरण अन्तर्गत आदर्श विद्यालयों का अवलोकन कार्य जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा किया गया था। वर्तमान नवीन परिवर्तित शैक्षिक ढाँचे में जिला शिक्षा अधिकारी स्तर का पद ब्लॉक स्तर पर सृजित किया गया है। नवीन आदेशानुसार आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय के सघन विद्यालय अवलोकन की मुख्य जिम्मेदारी ब्लॉक कार्यालय की होगी। पूर्व में केवल आदर्श विद्यालय का अवलोकन कार्य उक्त प्रक्रियान्तर्गत किया जाता था, लेकिन अब उत्कृष्ट विद्यालयों का अवलोकन कार्य भी इसी तरह किया जाना है। विद्यालय अवलोकन पूर्व की भाँति जिला कार्यालय द्वारा सैम्पल के तौर पर नहीं किया जाकर, अधीनस्थ सभी आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों का शत–प्रतिशत अवलोकन ब्लॉक कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

विद्यालय अवलोकन प्रक्रिया के प्रभावी परिवीक्षण हेतु जिला कार्यालय सैम्पल के तौर पर विद्यालय विजिट कर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा किये गये संबंधित विद्यालय के अवलोकन का सत्यापन करेंगे। जिला स्तरीय कार्यालय स्पष्ट कार्य योजना निर्माण कर सुनिश्चित करेंगे कि वर्तमान सत्र में कम से कम 10 प्रतिशत आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों का सत्यापन सुनिश्चित हो सके। जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा ब्लॉक स्तर से अवलोकन डाटा ऑनलाइन फीड होने के पश्चात ही अवलोकन सत्यापन कार्य करना है।

आदर्श विद्यालय अवलोकन के दिवस ही ग्राम पंचायत में स्थित उत्कृष्ट विद्यालय का भी अवलोकन कार्य किया जाना है जिससे ग्राम पंचायत में स्थित आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों का अवलोकन कार्य एक दिवस ही में सम्पन्न हो सके एवं उत्कृष्ट विद्यालय को अपेक्षित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। ब्लॉक स्तर द्वारा आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय अवलोकन कार्य दिनांक 15.02.2019 से 06.03.2019 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

विद्यालय अवलोकन के पश्चात जारी हुए टिकट के निस्तारण की सामूहिक जिम्मेदारी संस्था प्रधान, ब्लॉक स्तरीय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की होगी। टिकट के निस्तारण की असमर्थता की स्थिति में टिकट को निस्तारण हेतु उच्च कार्यालय को प्रोन्नत किया जाएगा। जिला कार्यालय 'संबंधित संभाग कार्यालय एवं राज्य कार्यालय (राज्य परियोजना कार्यालय–जयपुर/निदेशालय–माशि एवं प्राशि, बीकानेर)' के साथ समन्वय स्थापित करना और अपने अधीनस्थ समस्त ब्लॉक कार्यालयों एवं विद्यालयों का समीक्षात्मक परिवीक्षण एवं टिकट निस्तारण में उनका सहयोग करना सुनिश्चित करेंगें।

उक्त के क्रम में, विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम हेतु नवसृजित जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के स्पष्ट कार्य विभाजन एवं दायित्व निम्न प्रकार है :–

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (सीडीईओ) एवं पदेन राज्य परियोजना समन्वयक, SMSA :–

- अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी–माध्यमिक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी–प्रारम्भिक शिक्षा, अति. राज्य परियोजना समन्वयक–समग्र शिक्षा अभियान, डाइट–प्रधानाचार्य एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के निरीक्षण/अवलोकन हेतु मार्गदर्शन एवं सम्बलन प्रदान करेंगे।

www.rajteachers.com

- समस्त ब्लॉक्स से विद्यालय अवलोकन योजना प्राप्त कर यह सुनिश्चित करेंगे कि नियमानुसार प्रत्येक आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय का वर्तमान सत्र में कम से कम 1 बार निरीक्षण/अवलोकन सुनिश्चित हो।
- सीडीईओ स्वयं के लिए एवं जिला शिक्षा अधिकारी–माध्यमिक एवं प्रारम्भिक, अति. जिला परियोजना समन्वयक (एडीपीसी), डाइट–प्रधानाचार्य, सहायक निदेशक, सहायक परियोजना समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (एडीईओ) के लिए सत्यापन हेतु आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय आवंटित करेंगे।
- कार्यक्रम अधिकारी के लिए सत्यापन हेतु केवल उत्कृष्ट विद्यालय आवंटित करेंगे।
- उक्त आवंटन में यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्तमान सत्र में कम से कम 10 प्रतिशत आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों का सत्यापन सुनिश्चित हो सके।
- सम्पूर्ण जिले की वार्षिक/त्रैमासिक/माहवार आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय अवलोकन योजना संभाग एवं राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- जिला स्थित समस्त ब्लॉक्स की आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय निरीक्षण/ अवलोकन एवं टिकिट निस्तारण संबंधी प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा कर प्रत्येक टिकट का निस्तारण करने में अधीनस्थ जिला, ब्लॉक कार्यालयों एवं विद्यालयों को आवश्यक सम्बलन एवं सहयोग प्रदान करेंगे।
- जिले में विद्यालय अवलोकन के दौरान जारी हुए किसी टिकट के निस्तारण का कार्य यदि 6 माह से अपूर्ण/प्रक्रियाधीन है, तो उक्त के निस्तारण हेतु विशेष मॉनीटरिंग करेंगे एवं संबंधित ब्लॉक/विद्यालय को आवश्यक सहयोग तथा सम्बलन प्रदान करेंगे।
- आवश्यकतानुसार संभाग अथवा राज्य कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित कर जिले में आदर्श एवं उत्कृष्ट वद्यालय निरीक्षण/अवलोकन की समयबद्ध प्रगति एवं टिकिट निस्तारण की पूर्णता सुनिश्चित करेंगे।

अन्य जिला स्तरीय शिक्षा अधिकारी :–

- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के दिशा–निर्देशानुसार आवंटित आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों का नियमानुसार अवलोकन करेंगे।
- जिला स्थित विभिन्न ब्लॉक्स के साथ समन्वय स्थापित करना, आवश्यक सूचना ऑनलाइन करना तथा टिकिट निस्तारण प्रक्रिया में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी का सहयोग करना एवं दिशा–निर्देशानुसार अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) एवं पदेन बीआरसीएफ– SMSA :–

- अधीनस्थ अधिकारियों को निरीक्षण/अवलोकन हेतु आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों का आवंटन कर उक्त की वार्षिक/त्रैमासिक/माहवार योजना जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना।
- स्वयं विद्यालय अवलोकन करेंगे एवं अधीनस्थ अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं संदर्भ व्यक्ति द्वारा आवंटित आदर्श/उत्कृष्ट विद्यालयों का समयबद्ध विद्यालय निरीक्षण/अवलोकन की मॉनीटरिंग करना सुनिश्चित करेंगे।
- समस्त विद्यालय अवलोकन संबंधी डेटा ऑनलाइन करवाना, जारी हुए अथवा प्रोन्नत हुए टिकिट्स का समयबद्ध निस्तारण करवाना सुनिश्चित करेंगे।
- ब्लॉक स्थित समस्त आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के निरीक्षण/अवलोकन एवं टिकिट निस्तारण संबंधी प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा कर प्रत्येक टिकट का निस्तारण करने में अधीनस्थ अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/संदर्भ व्यक्ति एवं विद्यालयों को आवश्यक सम्बलन एवं सहयोग प्रदान करेंगे।

www.rajteachers.com

- अधीनस्थ विद्यालय में अवलोकन के दौरान जारी हुए किसी टिकट के निस्तारण का कार्य यदि 6 माह से अपूर्ण/प्रक्रियाधीन है, तो उक्त के निस्तारण हेतु विशेष मॉनीटरिंग करेंगे एवं विद्यालय को आवश्यक सहयोग तथा सम्बलन प्रदान करेंगे।
- आवश्यकतानुसार जिला कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित कर ब्लॉक में आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय निरीक्षण/अवलोकन की समयबद्ध प्रगति एवं टिकिट निस्तारण की पूर्णता सुनिश्चित करेंगे।

अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (एसीबीईओ) एवं संदर्भ व्यक्ति (आरपी) :–

- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के दिशा–निर्देशानुसार आवंटित आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों का नियमानुसार अवलोकन करेंगे।
- ब्लॉक स्थित विद्यालयों के साथ समन्वय करना, आवश्यक सूचना ऑनलाइन करना तथा टिकिट निस्तारण प्रक्रिया में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का सहयोग करना एवं दिशा–निर्देशानुसार अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।
- संदर्भ व्यक्ति केवल उत्कृष्ट विद्यालयों का निरीक्षण/अवलोकन कर सकेंगे।

(डॉ. नरेन्द्र कुमार गुप्ता)
राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान–सरकार।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
4. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
5. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, रास्कूलशिप, जयपुर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम एवं द्वितीय, रास्कूलशिप, जयपुर।
7. समस्त उपायुक्त, रास्कूलशिप, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग।
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले।
10. समस्त अति. जिला परियोजना समन्वयक–समसा/जिला शिक्षा अधिकारी–माशि एवं प्राशि/डाइट प्रधानाचार्य/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी)
11. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, रास्कूलशिप, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित जिले में शत–प्रतिशत आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय अवलोकन निर्धारित समय में किया जाना सुनिश्चित करें।
12. रक्षित पत्रावली।

अति. राज्य परियोजना निदेशक

www.rajteachers.com